



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 58 राँची, गुस्वार, 30 माघ, 1947 (श०)
19 फरवरी, 2026 (ई०)

जल संसाधन विभाग

संकल्प

6 फरवरी, 2026

विषय:-झारखण्ड राज्य जल संसाधन विभाग अंतर्गत रु० 50.00 लाख से रु० 2.50 करोड़ तक की योजनाओं की निविदा को दो लिफाफा प्रणाली के माध्यम से निष्पादन करने के संबंध में।

पत्रांक - 3/PMC/निविदा/565/2022-47-

1. पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-4043 (S) दिनांक-05-06-2012 द्वारा भारत के संविधान का अनुच्छेद 162 सहपठित अनुच्छेद 309 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त झारखण्ड लोक निर्माणविभाग संहिता 2012 बनाया गया था। उक्त लोक निर्माण विभाग संहिता 2012 की कंडिका-163 के Note-2 एवं 3 में 50 लाख से अधिकलागत की निविदा के लिए निम्नलिखित प्रावधान किया गया था:-

Note 2 में The validity of tender should be decided prior to opening of financial bids by inviting bids for the projects costing more than Rs. 50 Lakhs through two envelop systems or in a likewise manner.

Note-3 में In double envelope bidding process if the rate quoted by more than one tenderer is lowest, than the work shall be awarded on the basis of marks obtained in technical evaluation as per the guidelines issued by the department.

2. झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता के लागू होने के पूर्व रु 2.5 करोड़ तक की निविदा के लिए एकल लिफाफा पद्धति अपनाई जाती थी। योजनाओं में 50 लाख से 2.5 करोड़ तक के लिए दो लिफाफा में निविदा प्रक्रिया अपनाने से निविदा निष्पादन प्रक्रिया अधिक जटिलता तथा निविदाकारों की भागीदारी भी कम अथवा नहीं होने के कारण निविदाओं में अपेक्षित प्रतिस्पर्धा नहीं होने के फलस्वरूप पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के जापांक संख्या 754(S) दिनांक-29-01-2014 द्वारा झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता-2012 के कंडिका-163 को संशोधित करने के संबंध में अधिसूचना निर्गत की गई है।
3. उक्त अधिसूचना की कंडिका-04 में राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार करते हुए रु 50.00 लाख से रु 2.50 करोड़ तक लागत के योजनाओं के लिए एकल लिफाफा पद्धति से निविदा प्रक्रिया करने हेतु झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता के कंडिका-163 के **Note 2** में रु 50.00 लाख के स्थान पर रु 2.50 करोड़ अंकित करते हुए निम्न प्रकार से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:-

Note 2 में The validity of tender should be decided prior to opening of financial bids by inviting bids for the projects consisting more than Rs. 2.5 Crore through two envelope system or in a likewise manner.

4. जल संसाधन विभाग का मुख्य दायित्व राज्य के जल स्रोतों से जल की उपलब्धता का आकलन, उसके संचय एवं संरक्षण हेतु वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रक्षेत्र की योजनाओं का निर्माण कराकर सिंचाई क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। विभाग अंतर्गत संरचनाएं जैसे बाँध नहरें, जलाशय, तटबंध, पंप हाउस, पाइपलाइन आदि राज्य के विकास और कृषि व्यवस्था के लिए तकनीकी रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। संरचनाएं तकनीकी रूप से जटिल और चुनौतीपूर्ण हैं जिसमें भौगोलिक स्थिति, भूगर्भीय चुनौतियां, मौसमी प्रभाव के साथ-साथ इंजीनियरिंग दक्षता, गुणवत्तापूर्ण सामग्री वैज्ञानिक योजना और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है, जिससे कार्यानुभव की दक्षता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
5. जल संसाधन विभाग द्वारा वर्तमान में रु 50.00 लाख से रु 2.50 करोड़ तक की योजनाओं के कार्य हेतु एकल लिफाफा (F2) पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जा रही है। जिसके कारण योजनाओं के कार्यावंटन प्रक्रिया में संवेदक का चयन मूल रूप से निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं में से न्यूनतम दर उद्धृत राशि वाले निविदादाता को कार्य आवंटित कराना बाध्यता होती है फलस्वरूप कई कुशल एवं अनुभवी संवेदकों को कार्य अनुभव रहने पर भी निविदा आवंटन से वंचित होना पड़ता है।
6. विभाग अंतर्गत नये/अनुभवरहित संवेदकों द्वारा कार्य लेने के उद्देश्य से अत्यधिक न्यूनतमदर पर राशि उद्धृत किया जा रहा है जो स्वस्थ निविदा एवं कार्य के लिए उचित नहीं है। नये/अनुभवरहित संवेदकों को कार्य के संदर्भ में अनुभव नहीं रहने के कारण योजना कार्य पूर्ण होने में विलम्ब, न्यायिक आदि जैसे मामलों में लगातार वृद्धि हुई है।
7. जल संसाधन विभाग अंतर्गत संरचनाओं के निर्माण हेतु कुशल, अनुभवी और दक्ष संवेदक की चयन होने से योजनाएं तकनीकी मानकों एवं उच्च गुणवत्ता का निर्माण तथा समय पूर्ण

किया जा सकेगा, संसाधनों का प्रभावी उपयोग, रखरखाव की आवश्यकता में कमी के साथ-साथ न केवल सरकारी निवेश का सर्वोत्तम उपयोग हो सकेगा बल्कि जनसुरक्षा और जल प्रबंधन भी सुनिश्चित हो पाएगी।

8. विभाग अंतर्गत अब तक काफी संख्या में संवेदकों को पंजीकृत किया गया है। वर्ष 2014 से वर्ष 2026 में परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। योजनाओं में निविदाकारों की भागीदारी में काफी बढ़ोतरी के साथ-साथ निविदा में अपेक्षित प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है।

9. पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना द्वारा निर्गत झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता 2012 कंडिका-158 b में अयोग्य निविदाकारों की भागीदारी और बाद में योग्यता के आधार पर अस्वीकृति से बचने के लिए विभाग द्वारा जारी/निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार दो लिफाफा प्रणाली हेतु निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:-

158b में In order to avoid participation of unqualified tenders and later rejection on the capability grounds, a two envelop system as per guidelines issued/prescribed by the department shall be followed.

10. वर्तमान में ग्रामीण विकास तथा पेयजल एवं स्वच्छता इत्यादि विभागों द्वारा रु० 50.00 लाख से रु० 2.50 करोड़ तक की योजनाओं की निविदा को दो लिफाफा प्रणाली के माध्यम से निष्पादन किया जा रहा है।

11. उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में जल संसाधन अंतर्गत संरचनाओं की महत्व को देखते हुए सम्यक रूप से विचार करते हुए विभाग अंतर्गत रु० 50.00 लाख से रु० 2.50 करोड़ तक की योजनाओं की निविदा को दो लिफाफा प्रणाली के माध्यम से निष्पादन करने हेतु (F2) Bidding Document तैयार किया गया है। जो परिशिष्ट- I के रूप में संलग्न है।

12. प्रस्ताव जल संसाधन विभाग अंतर्गत संरचनाओं के निर्माण एवं पुनर्स्थापन/मरम्मत कार्य के लिए प्रभावी होगा।

13. झारखण्ड राज्य जल संसाधन विभाग अंतर्गत रु० 50.00 लाख से रु० 2.50 करोड़ तक की योजनाओं की निविदा को दो लिफाफा प्रणाली के माध्यम से निष्पादन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

14. संकल्प की कंडिका-13 में अंकित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-09-01-2026 की बैठक में मद संख्या-25 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशांत कुमार,
सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची।
